92

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–विदिशा

देवेन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्री दलीपसिंह, निवासी ग्राम ढोलखेडी, तहसील व जिला विदिशा, वर्तमान निवास– एच.आई.जी.80, इन्द्रा कॉम्पलैक्स, विदिशा (म.प्र.) -- आवेदक

विरूद्ध

1 बद्री प्रसाद
2 लक्ष्मण सिंह
3 प्रकाशचन्द्र सभी पुत्रगण स्व. बिहारी लाल, समस्त निवासीगण ग्राम पडरिया, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन (म.प्र.)
4 गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री दिलीप सिंह निवासी -- इन्द्रा काम्पलेक्स मकान नं. एच.आई.जी. 80 बिदिशा जिला बिदिशा म.प्र.
5 रामसिंह पुत्र श्री दिलीप सिंह निवासी – पापड़ा तहसील बेगमगंज जिला रायसेन
6 बाबूसिंह पुत्र श्री दिलीप सिंह निवासी – ग्राम पापड़ा तहसील बेगमगंज जिला रायसेन म.प्र.
7 कौशल्या बाई पत्नी गनपत सिंह निवासी – देवलापुर तहसील बेगमगंज जिला रायसेन म.प्र.
8 बेनीबाई पत्नी गोविन्द

निवासी – हप्सिली तहसील बेगमगंज जिला रायसेन म.प्र.

9 जानकीबाई पत्नी बद्रीप्रसाद
निवासी – गेहूँराम तहसील गैरतगंज जिला रायसेन म.प्र.

10 लक्ष्मीबाई पत्नी बिन्द्रावन
निवासी – ग्राम गेहूँराम तहसील गैरतगंज जिला रायसेन म.प्र.

11 भगवतीबाई पत्नी स्व. श्री गोपाल सिंह
निवासी – ग्राम चिरह तहसील मिलवानी जिला रायसेन म.प्र.

12 शकुनबाई पत्नी सरदार सिंह
निवासी – बस स्टैण्ड के पास सागर जिला सागर म.प्र.

13 उर्मिलाबाई पत्नी बीरनारायण
निवासी – ग्राम चांदबढ़ तहसील बेगमगंज जिला रायसेन म.प्र.

14 धनबाई पत्नी महराज सिंह
निवासी – मरखेड़ा गुलाब तहसील बेगमगंज जिला रायसेन म.प्र.

15 डलकीबाई पत्नी जमना प्रसाद
निवासी – चिगंवाडा तहसील मिलवानी जिला रायसेन म.प्र.

16 अतरबाई पत्नी जितेन्द्र सिंह
निवासी – ढ़मना तहसील खुरई जिला सागर म.प्र.

17 शन्तिबाई पत्नी रामसिंह
निवासी – ग्राम बटयावदा जिला सागर म.प्र.

18 विनोद बाई पत्नी रतन सिंह
निवासी – ग्राम रीछई जिला सागर म.प्र.

19 ईश्वरी बाई पत्नी बाला प्रसाद
निवासी – भैसा जिला सागर म.प्र.

20 सुशीलाबाई पत्नी रामकिशन
निवासी – ग्राम सलैया तहसील मिलवानी जिला रायसेन म.प्र.

21 विद्यादेवी बेवा रामनारायण

निवासी – गंभीरिया मोहल्ला
बेगमगंज जिला रायसेन म.प्र.

22 महेन्द्र सिंह पुत्र रामनारयण
निवासी – गंभीरिया मोहल्ला
बेगमगंज जिला रायसेन म.प्र.

23 वीरेन्द्र सिह पुत्र श्री रामनारायण
निवासी – गंभीरिया मोहल्ला
बेगमगंज जिला रायसेन म.प्र.

24 जितेन्द्र सिंह पुत्र श्रह रामनारायण
निवासी – गंभीरिया मोहल्ला
बेगमगंज जिला रायसेन म.प्र.

—— अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बेगमगंज द्वारा प्रकरण क्रमांक ए/ए–6/2005–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 20.07.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बेगमगंज का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष जो अपील अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत की गयी थीं, उसमे वह दिनांक 20.07.2016 को उपस्थित नहीं हुये और प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया। किन्तु बाद में पुनश्चः करके प्रकरण को बिना किसी आवेदन के पुनः स्थापित कर दिया गया जबकि प्रकरण के पुर्न स्थापन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिवत् नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यहकि, उपरोक्त प्रकरण में आवेदक की ओर से अभिभाषक पेशी दिनांक 20.07.2016 को उपस्थित थे जबकि प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त हुआ था तब ऐसी स्थिति में प्रकरण के पुर्न स्थापन से पूर्व उन्हे सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर दिये बिना एक पक्षीय रूप से प्रकरण का पुर्न स्थापन कर लिया गया है, जो नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3227-पीबीआर/2016 जिला रायसेन

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	